



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2258/2008

याचिकाकर्ता:

लातेल राम कोशले, पिता नैनदास कोशले, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी  
सी.एम.पी.डी.आई. कॉलोनी, साइंस कॉलेज के पीछे, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)।  
द्वारा: इसके मुख्य महाप्रबंधक, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची (झारखंड)।
2. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड,  
गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची (झारखंड)।
3. कार्मिक प्रबंधक, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, क्षेत्रीय  
संस्थान क्रमांक V, बिलासपुर (छ.ग.)।
4. श्री अशोक कुमार, कार्मिक प्रबंधक, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन  
इंस्टीट्यूट लिमिटेड, क्षेत्रीय संस्थान क्रमांक V, बिलासपुर (छ.ग.)।



(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका)

**एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

**उपस्थिति:**

याचिकाकर्ता के लिए श्री संजय पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए श्री प्रवीण दास, अधिवक्ता।

**मौखिक आदेश**

(दिनांक 05.09.2008 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.04.2008 (संलग्नक-पी/3) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता, जो बस खलासी के रूप में कार्यरत है और क्षेत्रीय संस्थान क्रमांक V, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (संक्षेप में "सी.एम.पी.डी.आई."), बिलासपुर में पदस्थ था, का स्थानांतरण ई एवं एम डिवीजन, सी.एम.पी.डी.आई. (मुख्यालय), रांची (झारखंड) में किया गया था, और आदेश दिनांक 11.04.2008 (संलग्नक-पी/4) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु बिलासपुर से कार्यमुक्त किया गया था।



2. श्री पटेल, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के कारण नहीं, अपितु शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के कारण पारित किया गया था। श्री पटेल ने तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पुत्र, नामतः भुवनेश्वर कोशले ने दिनांक 10.03.2008 (संलग्नक-पी/2), दिनांक 25.03.2008 (संलग्नक-पी/1) एवं दिनांक 31.03.2008 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को संबोधित करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई थीं, अतः उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 के उकसावे पर द्वेषवश आक्षेपित आदेश पारित किया है। श्री पटेल ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को तत्काल कार्यमुक्त करने का आदेश दिनांक 11.04.2008 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आक्षेपित आदेश द्वेष के साथ पारित किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष दर्ज शिकायतों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

3. श्री दास, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इसके विपरीत तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4, जो उत्तरवादी क्रमांक 2 के अधीनस्थ हैं, की किसी अनुशंसा या उनके कहने पर नहीं किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने सी.एम.पी.डी.आई. (मुख्यालय) से प्राप्त आवश्यकता दिनांक 19.03.2008 (संलग्नक-R/1) के अनुसरण में



स्थानान्तरण आदेश पारित किया था। कथित घटना आवश्यकता प्राप्ति के पश्चात हुई थी। अतः, उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 के विरुद्ध पुलिस शिकायत या उस पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही का इससे कोई संबंध नहीं है।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, अभिवचनों और उससे संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया। दुर्भावना का आरोप याचिकाकर्ता के पुत्र द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 के विरुद्ध की गई तीन शिकायतों पर आधारित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जांच जारी है।

उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4, जो उत्तरवादी क्रमांक 2 (जिन्होंने आदेश पारित किया है) के अधीनस्थ हैं, उन्होंने उन पर अपना प्रभाव नहीं डाला होगा,

क्योंकि यह किसी दस्तावेज या किसी अन्य परिस्थिति से भी सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार, दुर्भावना का आरोप प्रबल एवं अकाट्य कारणों से सिद्ध नहीं

होता है। याचिकाकर्ता ने स्थानान्तरण आदेश को किसी अन्य स्वीकार्य

आधारों पर चुनौती नहीं दी है, जैसे स्थानान्तरण आदेश पारित करने वाले

अधिकारी की सक्षमता का अभाव या किसी वैधानिक नियमों और विनियमों

का उल्लंघन। पत्र दिनांक 19.03.2008 (संलग्नक-R/1) के परिशीलन से

प्रतीत होता है कि स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के कारण

पारित किया गया था।





5. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और यह नियोक्ता को तय करना है कि किसी विशेष अधिकारी/कर्मचारी को लोक हित के साथ-साथ प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कहां पदस्थ किया जाए। इस न्यायालय के पास स्थानांतरण के मामले में हस्तक्षेप करने की सीमित अधिकारिता है, सिवाय उन मामलों के जहां दुर्भावना सिद्ध हो, आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की अक्षमता हो या नियमों और विनियमों के अनुरूप न हो।

6. न्यायालयों या अधिकरणों को, जो अपीलीय प्राधिकारी हैं, संबंधित स्थिति की प्रशासनिक आवश्यकताओं और बारीकियों पर विचार करने से बचना चाहिए। (देखें: उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध गोवर्धन लाल<sup>1</sup> का प्रकरण।)

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद मसूद अहमद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य<sup>2</sup> के प्रकरण में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप के दायरे को निम्नानुसार संक्षेपित किया है:

"7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थानांतरण की

न्यायिक समीक्षा का दायरा उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेंद्र रॉय विरुद्ध

1 2004) 11 एस.सी.सी. 402

2 2007) 8 एस.सी.सी. 150



भारत संघ, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध श्री भगवान, भारतीय स्टेट बैंक विरुद्ध अंजन सान्याल के प्रकरणों में तय किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विजय पाल सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और ओंकार नाथ तिवारी विरुद्ध मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया है कि पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित विधिक सिद्धांत यह है कि स्थानांतरण का आदेश एक कर्मचारी की सेवा शर्तों का हिस्सा है, जिसमें विधिक न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता के प्रयोग में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अदालत को यह न लगे कि या तो आदेश दुर्भावनापूर्ण है या सेवा नियम ऐसे स्थानांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, या आदेश जारी करने वाले अधिकारी आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे।"

8. उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में निर्धारित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित दुर्भावना सिद्ध नहीं हुई है और नियमों के उल्लंघन या स्थानांतरण आदेश पारित करने वाले अधिकारी की अक्षमता के आधार पर आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है।



अतः, इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की की आवश्यकता नहीं है। यह रिट याचिका गुणदोष रहित होने के कारण तदनुसार खारिज की जाती है।

9. परिणामतः, लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निराकृत किए जाते हैं।

सही/-  
सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

